झारखण्ड विधान सभा

दैनिक विवरणिका

चतुर्थ झारखण्ड विधान सभा　　　　　　　　　　अष्टम(बजट)सत्र

संख्या-11　　　　　　　　　　गुरुवार, दिनांक-02 फरवरी, 2017 ई०।

समय-11.00 बजे पूर्वाह्न से 02.46 बजे अप० तक।

माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।

1.विविध चर्चायें:-

i- माननीय मुख्यमंत्री द्वारा सदन के बाहर लालकार्ड समाप्त किये जाने सम्बन्धी घोषणा की ओर माननीय सदस्य, श्री प्रदीप यादव ने आसन का ध्यान आकृष्ट किया और आग्रह किया कि गरीबों के हित में इसे रोका जाय,

ii-श्रीमती निर्मला देवी ने अपने द्वारा दिये गये एन.टी.पी.सी. के विरूद्ध कार्य-स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराये जाने की माँग की,

iii-इस क्रम में झारखण्ड मुक्ति मोर्चा के सर्वश्री चम्पाई सोरेन, जगरनाथ महतो, जय प्रकाश भाई पटेल, दशरथ गागराई, योगेन्द्र प्रसाद, निरल पुरती, कुणाल षडंगी एवं श्रीमती जोबा मांझी पूर्व की माँगों को लेकर पोस्टर के साथ सदन की वेल में आकर नारेबाजी करने लगे,

iv-विपक्ष के रवैये पर गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए आसन द्वारा अपनी सुस्पष्ट भावना को अभिव्यक्त करते हुए सदन को संसूचित किया गया कि विवश होकर गम्भीरतापूर्वक उन्हें इस विषय पर सोचकर कठोर निर्णय लेना होगा,

v-इस अवसर पर सत्तापक्ष के अधिकांशत: माननीय सदस्य भी अपने-अपने स्थान पर खडे होकर विपक्षी सदस्यों द्वारा सदन को लगातार बाधित किये जाने पर नाराजगी व्यक्त करने लगे। माननीय सदस्य, श्री राधा कृष्ण किशोर ने वेल में नारेबाजी करनेवाले माननीय सदस्यों को मार्शल आउट किये जाने या फिर सदन की कार्यवाही बन्द किये जाने हेतु आसन से आग्रह किया।

(भारी शोरगुल)

उक्त क्रम में सदन में अव्यवस्था का माहौल कायम हो जाने के कारण सदन की **कार्यवाही 11.11 बजे पूर्वा० से 12.45 बजे अप० तक स्थगित कर दी गयी।**

(स्थगनोपरांत)

माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।

माननीय अध्यक्ष महोदय के आसन ग्रहण करते ही झारखण्ड मुक्ति मोर्चा के माननीय सदस्य पोस्टर लेकर पूर्व की भाँति अपने-अपने स्थान पर खडे हो गये।

2. सभा मेज पर कागजात का रखा जाना:-

माननीय संसदीय कार्य मंत्री(प्रभारी वित्त), श्री सरयू राय द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 151(2) के अनुसरण में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का वित्तीय वर्ष-2015-16 के राजस्व क्षेत्र का प्रतिवेदन जिसे विधान सभा के समक्ष रखने हेतु भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक ने माननीय राज्यपाल के पास भेजा है, की प्रति सभा पटल पर रखी गयी और पुन: प्रस्ताव किया गया कि विधान सभा के समक्ष रखे जाने के पश्चात् और उनपर लोक लेखा समिति के परिनिरीक्षण के पूर्व वह जनता में बिक्री के लिए प्राप्य होगा।

उक्त प्रस्ताव पर ध्वनिमत से सभा द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी।

3. सभा पटल पर प्रतिवेदन का रखा जाना:-

i- प्राक्कलन समिति के माननीय सभापति, श्री निर्भय कुमार शाहाबादी द्वारा झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 216(1) के तहत प्राक्कलन समिति का सप्तम् प्रतिवेदन सभा पटल पर रखा गया,

ii- याचिका समिति के माननीया सभापति, श्रीमती मेनका सरदार द्वारा झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 216(1) के तहत याचिका समिति का तेरहवाँ प्रतिवेदन सभा पटल पर रखा गया।

4.वित्तीय कार्य:-

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (उच्च शिक्षा प्रभाग) की माँग माननीय संसदीय कार्य मंत्री, श्री सरयू राय द्वारा रखी गयी जिसपर माननीय सदस्य, श्री प्रदीप यादव ने कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

5.कार्य मंत्रणा समिति की बैठक सम्बन्धी सूचना:-

आसन द्वारा सदन को संसूचित किया गया कि सदन की कार्यवाही के तुरत बाद अध्यक्षीय कक्ष में कार्य मंत्रणा समिति की एक अहम बैठक होगी जिसमें सभी सम्बन्धित माननीय सदस्यों को उपस्थित रहने हेतु अनुरोध भी किया गया।

इस क्रम में झारखण्ड मुक्ति मोर्चा के माननीय सदस्यों द्वारा सदन की वेल में नारेबाजी की जाती रही अतएव अव्यवस्था के माहौल को देखते हुए सदन की कार्यवाही 12.54 बजे अप० से लेकर भोजनावकाश तक के लिए स्थगित कर दी गयी।

(अन्तराल)

माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।

6.कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिशें:-

दिनांक-02 फरवरी, 2017 को सम्पन्न कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में निम्न सिफारिशें की गयी-

i- सभा की दिनांक-07 फरवरी, 2017 तक जो बैठक निधारित थी, सभा के निरन्तर व्यवधान को देखते हुए उक्त आलोक में सभी अनुदान मांगों का निष्पादन गिलोटिन के द्वारा आज ही दिनांक-02 फरवरी, 2017 की बैठक में कराया जाय,

ii- अनुदानों पर सभा की सहमति के उपरांत तत्सम्बन्धी विनियोग विधेयक का उपस्थापन, व्यवस्थापन एवं पारण हो,

iii- सभा के समक्ष प्राप्त सभी छः राजकीय विधेयकों का पुरःस्थापन, व्यवस्थापन एवं पारण का कार्य विनियोग विधेयक के निष्पादन के उपरांत किया जाय।

उक्त सिफारिशों पर सभा की सहमति हेतु माननीय सदस्य, श्री राधा कृष्ण किशोर द्वारा प्रस्ताव रखा गया जो ध्वनिमत से सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

माननीय सदस्य, श्री प्रदीप यादव द्वारा उक्त व्यवस्था पर आपत्ति जतायी गयी। इस क्रम में झारखण्ड मुक्ति मोर्चा के सभी माननीय सदस्य पूर्व की माँगों को लेकर नारेबाजी करते हुए सदन की वेल में आ गये तत्पश्चात् विरोध स्वरूप उन्होंने सदन का परित्याग किया।

7.वित्तीय कार्य(क्रमांक-4 से जारी):-

अन्तराल के पूर्व स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (उच्च शिक्षा प्रभाग) से सम्बन्धित प्रस्तुत माँग पर माननीय सदस्य, श्री प्रदीप यादव का कटौती प्रस्ताव ध्वनिमत से अस्वीकृत हुआ और माँग स्वीकृत हुई तत्पश्चात् शेष अनुदान की 59 माँगें बारी-बारी से गिलोटिन (मुखबंद) के माध्यम से सभा द्वारा स्वीकृत हुईं।

8.विधायी कार्य:-

i- झारखण्ड विनियोग (संख्या-02) विधेयक, 2017

माननीय प्रभारी मंत्री श्री सरयू राय द्वारा सभा की अनुमति से उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित किया गया।

पुरःस्थापनोपरांत माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त विधेयक पर विचार का प्रस्ताव सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

खण्डशः विचार के क्रम में विधेयक के खण्ड- 2, अनुसूची, खण्ड-1, प्रस्तावना एवं नाम बारी-बारी से सभा की अनुमति से इस विधेयक के अंग बने।

माननीय प्रभारी मंत्री ने उपर्युक्त विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जो सभा द्वारा स्वीकृत हुआ तत्पश्चात् झारखण्ड विनियोग (संख्या-02) विधेयक, 2017 सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

ii- झारखण्ड राज्य अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) विधेयक, 2017

माननीया प्रभारी मंत्री श्रीमती लुईस मराण्डी द्वारा सभा की अनुमति से उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित किया गया।

पुरःस्थापनोपरांत माननीया प्रभारी मंत्री द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त विधेयक पर विचार का प्रस्ताव सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

खण्डशः विचार के क्रम में विधेयक के खण्ड- 2, खण्ड-1, प्रस्तावना एवं नाम बारी-बारी से सभा की अनुमति से इस विधेयक के अंग बने।

माननीया प्रभारी मंत्री ने उपर्युक्त विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जो सभा द्वारा स्वीकृत हुआ तत्पश्चात् झारखण्ड राज्य अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) विधेयक, 2017 सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

iii- झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2016

माननीय प्रभारी मंत्री श्री सरयू राय द्वारा सभा की अनुमति से उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित किया गया।

पुरःस्थापनोपरांत माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त विधेयक पर विचार का प्रस्ताव सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

खण्डशः विचार के क्रम में विधेयक के खण्ड- 2 से 13, अनुसूची, खण्ड-1, प्रस्तावना एवं नाम बारी-बारी से सभा की अनुमति से इस विधेयक के अंग बने।

माननीय प्रभारी मंत्री ने उपर्युक्त विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जो सभा द्वारा स्वीकृत हुआ माननीय सदस्य, श्री आलमगीर आलम द्वारा दिया गया संशोधन अप्रस्तावित रहा तत्पश्चात् **झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर(संशोधन) विधेयक, 2016** सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

iv- अरका जैन विश्वविद्यालय विधेयक, 2017

माननीय प्रभारी मंत्री श्री सरयू राय द्वारा सभा की अनुमति से उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित किया गया।

पुरःस्थापनोपरांत माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त विधेयक पर विचार का प्रस्ताव सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

खण्डशः विचार के क्रम में विधेयक के खण्ड- 2 से 46, अनुसूची, खण्ड-1, प्रस्तावना एवं नाम बारी-बारी से सभा की अनुमति से इस विधेयक के अंग बने।

माननीय प्रभारी मंत्री ने उपर्युक्त विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जो सभा द्वारा स्वीकृत हुआ माननीय सदस्य, श्री आलमगीर आलम द्वारा दिया गया संशोधन अप्रस्तावित रहा तत्पश्चात् **अरका जैन विश्वविद्यालय विधेयक, 2017** सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

v- वाई०बी०एन० विश्वविद्यालय विधेयक, 2017

माननीय प्रभारी मंत्री श्री सरयू राय द्वारा सभा की अनुमति से उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित किया गया।

पुरःस्थापनोपरांत माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त विधेयक पर विचार का प्रस्ताव सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

खण्डशः विचार के क्रम में विधेयक के खण्ड- 2 से 46, अनुसूची, खण्ड-1, प्रस्तावना एवं नाम बारी-बारी से सभा की अनुमति से इस विधेयक के अंग बने।

माननीय प्रभारी मंत्री ने उपर्युक्त विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जो सभा द्वारा स्वीकृत हुआ माननीय सदस्य, श्री आलमगीर आलम द्वारा दिया गया संशोधन अप्रस्तावित रहा तत्पश्चात् **वाई०बी०एन० विश्वविद्यालय विधेयक, 2017** सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

vi- झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय(संशोधन) विधेयक, 2017

माननीय प्रभारी मंत्री श्री सरयू राय द्वारा सभा की अनुमति से उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित किया गया।

पुरःस्थापनोपरांत माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त विधेयक पर विचार का प्रस्ताव सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

खण्डशः विचार के क्रम में विधेयक के अध्याय-2 में खण्ड- 1 से 4, खण्ड-1, प्रस्तावना एवं नाम बारी-बारी से सभा की अनुमति से इस विधेयक के अंग बने।

माननीय प्रभारी मंत्री ने उपर्युक्त विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जो सभा द्वारा स्वीकृत हुआ तत्पश्चात् **झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय(संशोधन) विधेयक, 2017** सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

vii- सरला बिरला विश्वविद्यालय विधेयक, 2017

माननीय प्रभारी मंत्री श्री सरयू राय द्वारा सभा की अनुमति से उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित किया गया।

पुरःस्थापनोपरांत माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त विधेयक पर विचार का प्रस्ताव सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

खण्डशः विचार के क्रम में विधेयक के खण्ड- 2 से 46, अनुसूची, खण्ड-1, प्रस्तावना एवं नाम बारी-बारी से सभा की अनुमति से इस विधेयक के अंग बने।

माननीय प्रभारी मंत्री ने उपर्युक्त विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जो सभा द्वारा स्वीकृत हुआ। माननीय सदस्य, श्री आलमगीर आलम द्वारा दिया गया संशोधन अप्रस्तावित रहा तत्पश्चात् सरला बिरला विश्वविद्यालय विधेयक, 2017 सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

9. आसन से निदेश:-

आसन द्वारा सरकार को निदेश दिया गया कि निजी विश्वविद्यालय से सम्बन्धित जितने भी विधेयक आज सदन में पारित हुए हैं, उनमें अंकित विषयों का अक्षरशः पालन हो।

10. निलम्बन की वापसी:-

झारखण्ड विधान सभा की सदाचार एवं विधायक निधि अनुश्रवण समिति की अनुशंसा के आलोक में दिनांक-19.01.2017 को चार माननीय विधायकों सर्वश्री शशिभूषण सामाड, पौलुस सुरीन, अमित कुमार एवं श्री इरफान अंसारी को दिनांक-31.03.2017 तक के लिए सभा एवं समिति के कार्यो से विमुक्त करते हुए सदन की सहमति से निलम्बित किया गया था। विगत दिनों से कई कारणों के अतिरिक्त उक्त कारण से भी सदन की कार्यवाही बाधित होती रही। निलम्बित विधायकों के निलम्बन वापसी हेतु दलीय नेताओं द्वारा लिखित रूप से आग्रह किया गया तदनुसार सभा की सहमति से आज दिनांक-02.02.2017 के प्रभाव से उक्त विधायकों को निलम्बन से मुक्त किया गया।

11. समापन भाषण:-

निर्धारित अविध से पूर्व ही सभा की कार्यवाही के समापन भाषण में भारी मन से आसन द्वारा अपना उद्‌गार व्यक्त किया गया क्योंकि लगातार व्यवधान उत्पन्न होते रहने से कुल 146 अल्पसूचित प्रश्न, 771 तारांकित प्रश्न एवं 127 अतारांकित प्रश्नों पर मौखिक उत्तर नहीं हो सके। सभा के दौरान सफल मेडिकल कैम्प के आयोजन एवं सभा के संचालन में सरकार, सभा सचिवालय, पुलिस कर्मियों एवं मीडिया कर्मियों को सहयोग के लिए आसन द्वारा धन्यवाद देते हुए सभा की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गयी।

राँची,
दिनांक- 02 फरवरी, 2017 ई०।

बिनय कुमार सिंह,
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा।